

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत /कैम्प कोर्ट 4 केएसपी)

1. कलावती पत्नी स्व. सुरेन्द्र कुमार जाति विश्नोई निवासी चक 7 केएसपी तहसील टिब्बी।
-वादीया

बनाम


1. संजय कुमार स्व. सुरेन्द्र कुमार जाति विश्नोई निवासी चक 7 केएसपी तहसील टिब्बी।
2. मुकेश पुत्र स्व. सुरेन्द्र कुमार जाति विश्नोई निवासी चक 7 केएसपी तहसील टिब्बी।
3. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।
-प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर:-49/2018
अन्तर्गत धारा:-88 आरटीए
निर्णय दिनांक:-1.5.2018

वादीया की ओर से श्री विकास शर्मा एडवोकेट व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से हितेन्द्र मोहन शर्मा एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 1.5.2018 को उम्मेदसिंह रतनू, उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:- चक नं 7 केएसपी के खाता संख्या 59 में स्व.सुरेन्द्र कुमार के नाम से 1.855 है. व इसी चक के खाता संख्या 64 में 0.253 है.कृषि भूमि दर्ज है की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता तथा चक नं. 3 एस. एस.डब्ल्यू के खाता सं. 96 में स्व.सुरेन्द्र कुमार के नाम दर्ज कुल 1.265 है.आराजी के प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर चक नं.7 केएसपी के खाता संख्या 59 में सुलेन्द्र कुमार पुत्र बीरबलराम तथा इसी चक के खाता संख्या 64 में से सुलेन्द्र कुमार पुत्र बीरराम व चक नं. 3 एस.एस.डब्ल्यू के खाता सं. 96 में सुरेन्द्र कुमार पुत्र बीरराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

यह आज तारीख 1.5.2018 राजस्व लोक अदालत अभियान ग्राम पंचायत 4 केएसपी में मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

पीठासीन अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी (राजस्व))
पदेन सहायक कलक्टर, टिब्बी



वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वादपत्र के लिए स्टाम्प	0	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	प्लीडर की फीस	0
4.रूपये पर प्लीडर की फीस	0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0	आदेशिका की तामील	0
6 कमिश्नर की फीस	0	कमिश्नर की फीस	0
7 आदेशिका की तामील	0	जोड़	0
जोड़			